



उत्तराखण्ड सरकार

कार्यालय महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड
'सूचना भवन' लाडपुर रिंग रोड, देहरादून

E-mail : infodg.uk@gmail.com, dg-info-uk@nic.in दूरभाष: 0135-2662971 / फ़ैक्स: 2662334

पत्रांक : 574 / सू.एवंलो.सं.वि.(प्रशा.)-05 / 2018

दिनांक : 30 जून, 2025

कार्यालय आदेश

'उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 (संख्या: 01, वर्ष 2018)', की धारा-16 के अनुसार गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड के निम्नांकित कार्मिकों का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख कालम-3 में अंकित कार्यालय से कालम-4 में अंकित कार्यालय में किया जाता है :-

क्र.सं.	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती/कार्यालय का नाम	नवीन तैनाती/कार्यालय का नाम
1	2	3	4
1.	श्री सुन्दर, अतिरिक्त जिला सूचना अधिकारी।	जिला सूचना कार्यालय, अल्मोड़ा	जिला सूचना कार्यालय, पिथौरागढ़।
2..	श्री सुरेश कुमार, अतिरिक्त जिला सूचना अधिकारी।	जिला सूचना कार्यालय, उत्तरकाशी	जिला सूचना कार्यालय, उधमसिंह नगर।
3..	श्री सुरेश लाल, अनुसेवक	जिला सूचना कार्यालय, टिहरी	सूचना निदेशालय (मुख्यालय, देहरादून।

इस सम्बन्ध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि :-

- उपरोक्त समस्त स्थानान्तरण, स्थानान्तरण अधिनियम की धारा- 7, 10, 13 एवं 17 के अन्तर्गत प्राप्त अनुरोध/पारस्परिक स्थानान्तरण हेतु प्रेषित विकल्पों के आधार पर किये जा रहे हैं।
- उपरोक्त स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण अधिनियम की धारा-22 के अनुसार स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना नये तैनाती स्थान पर अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे। संबंधित प्राधिकारी स्थानान्तरित कार्मिकों को तदनुसार तत्काल अवमुक्त करेंगे। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य 'कार्यभार ग्रहण अवधि (joining time)' का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य 'यात्रा अवधि (journey time)' का ही उपभोग करेंगे;
- स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा;
- स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध अधिनियम की धारा-24 के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी;
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा;

6. स्थानान्तरण अधिनियम के अन्तर्गत दिये गये आदेश या निदेश का उल्लंघन या उल्लंघन करने का प्रयत्न अधिनियम की धारा-24(3) के अनुसार दण्डनीय होगा;
7. स्थानान्तरण अधिनियम की धारा-22(4) के अनुसार इस आदेश के जारी होने की तिथि के सात दिन के पश्चात वर्तमान तैनाती कार्यालय के स्तर से स्थानान्तरित होने वाले कार्मिक का वेतन आहरित नहीं किया जायेगा;
8. स्थानान्तरण अधिनियम की धारा-7(ग) के अनुसार सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र के लिए स्थानान्तरित उपरोक्त कार्मिक दुर्गम क्षेत्र में तैनाती संबंधी न्यूनतम अवधि पूर्ण करने की तिथि को अनिवार्य रूप से सुगम क्षेत्र के लिए अवमुक्त कर दिये जायेंगे।
9. क्रम संख्या 03 पर अंकित अनुसेवक, सुरेश लाल का स्थानान्तरण उनके अनुरोध के आधार पर किया जा रहा है। अतः श्री सुरेश लाल, अनुसेवक को नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(आशिष कुमार त्रिपाठी)
अपर निदेशक
कृते महानिदेशक

संख्या : 574 (1)/सू.एवंलो.सं.वि.(प्रशा.)-05/2018, तददिनांकित
प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव सूचना, उत्तराखण्ड शासन।
2. जिलाधिकारी, अल्मोड़ा/पिथौरागढ़/उत्तरकाशी/उधमसिंह नगर/देहरादून।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी अल्मोड़ा/पिथौरागढ़/उत्तरकाशी/उधमसिंह नगर/देहरादून।
4. वरिष्ठ वित्त अधिकारी, सूचना विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. सम्बन्धित आहरण/वितरण अधिकारियों/कोषाधिकारियों को इस आशय के साथ प्रेषित की इस आदेश के जारी होने की तिथि से सात दिन पश्चात स्थानान्तरित कार्मिकों का वेतन आहरित न करें।
6. समस्त विभागीय अधिकारी/कर्मचारी/प्रभाग/शाखायें, मुख्यालय।
7. प्रभारी, उत्तराखण्ड राज्य सूचना केन्द्र, नई दिल्ली।
8. समस्त जिला सूचना अधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. सूचना अधिकारी, मीडिया सेंटर, हल्द्वानी, नैनीताल।
10. सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारियों को
11. सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारियों की निजी पत्रावली हेतु।
12. नोटिस बोर्ड हेतु/विभागीय वेबसाइट हेतु।

(आशिष कुमार त्रिपाठी)
अपर निदेशक
कृते महानिदेशक